Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में सरपंच 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा ग्रामीण इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये भगवान सिंह सरपंच ग्राम पंचायत गोपालगढ़, जिला भरतपुर को परिवादी से **35 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि का पट्टा जारी करने की एवज में भगवान सिंह सरपंच ग्राम पंचायत गोपालगढ़, जिला भरतपुर द्वारा परिवादी से **60 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी कोटा ग्रामीण इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये भगवान सिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासी गोपालगढ़, भरतपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत गोपालगढ़, जिला भरतपुर द्वारा परिवादी से **35 हजार रुपये की रिश्वत** राशि स्वीकार की। आरोपी द्वारा एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर एसीबी टीम के साथ धक्का–मुक्की की तथा रिश्वत राशि में से 28 हजार रुपये खुर्द–बुर्द कर दिये, परन्तु एसीबी टीम द्वारा सजगता दिखाते हुये मौके से **7 हजार रुपये** रिश्वत राशि बरामद कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।